

NT>

Title: Demanded to set up CBI enquiry into the incident of death of three persons of a family in a robbery case in Tundla (Uttar Pradesh) on 1st May, 2000 and police atrocities committed on the dalits in this matter and also to provide compensation to victims.

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Prof. Baghel says.

(Interruptions)*

प्रो.एस.पी.सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय, 1 मई की रात को तीन बजे 20-25 डकैतों ने टुण्डला कस्बे की लाइन पार मस्जिद मोहल्ले में छोटे खां, मोहम्मद अमान और मोहम्मद अमीर के घर में डकैती डाली और तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी -- पप्पन, अहमद और श्रीमती मुनादिन। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए --- कल्लो, बशीर, काकसा, मोहम्मद अमीर। इसमें पुलिस की लापरवाही यह है कि घटनास्थल से 800 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था और इसके बावजूद पुलिस तीन घंटे बाद पहुंची। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Prof. Baghel says.

(Interruptions)*

*Not Recorded.

प्रो.एस.पी.सिंह बघेल : पुलिस तीन घंटे बाद पहुंची। अगर पुलिस घटनास्थल पर पैदल भी जाती तो मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता। (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : उमा भारती जी पर जो हमला हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

प्रो.एस.पी.सिंह बघेल : इसमें चूंकि थाने की नाक के नीचे डकैती पड़ गई जिसमें अल्पसंख्यक समाज के तीन लोगों की हत्या हो गई, पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने चार निर्दोष आलू के पल्लेदारों को जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो कोल्ड स्टोरेज पर आलू का ट्रक लगाकर आ रहे थे, उनको पकड़कर उनकी हत्या कर दी। सतबीर सिंह, विजय सिंह, जयपाल और सुखदेव चार अनुसूचित जाति के लोगों की पुलिस ने हत्या कर दी। लाश के नीचे पुलिस की टोपी बरामद हुई। इसलिए पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाना चाहिए।

Mr. Speaker: You have raised the point.

प्रो.एस.पी.सिंह बघेल (जल्सर) : इसके बाद वहां की जनता जब लाश को देखने गई तो पुलिस ने बिना चेतावनी दिये, बिना लाठीचार्ज किये सीधे गोली चला दी और रामप्रकाश पुत्र फूल सिंह जाट की हत्या हो गई और प्रताप सिंह और वेदराज सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। इसके लिए पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। थाना टुण्डला की पुलिस को पुलिस इंस्पेक्टर के साथ निलंबित करना चाहिए, इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग मरे हैं, उनको पांच लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर घटना यह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुलिस की वहां पर रात भर गश्त होती है ताकि घटनास्थल पर कोई मौके की गवाही न दे। उनको टैरराइज़ किया जा रहा है और थाना पुलिस ने अपने एक सिपाही के द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाई कि चार अज्ञात लोगों की लाश मिली है जिनकी शिनाख्त की गई। पुलिस के खिलाफ अविलंब मामला बनना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record, please.

(Interruptions)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, टुण्डला, फिरोजाबाद जनपद में आता है और रेलवे की दृष्टि से हिन्दुस्तान में टुण्डला एक प्रमुख स्थान है। उस क्षेत्र के सांसद प्रो. एस.पी.सिंह बघेल ने घटना का जिक्र किया। यह अत्यन्त दुखद है कि उ.प्र. की पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। नगला मस्जिद के पास जो डकैती पड़ी जिसमें तीन अकल्पित लोग मारे गए और चार दलित लोग मारे गए। सुबूत के लिए एक लाश के पास पुलिस के व्यक्ति की टोपी मिली है और संतो नाम का एक लड़का जो घायल था, उसने पुट्टि की कि हत्याएं पुलिस ने की हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें पुलिस की गोली से एक जाट नौजवान भी मरा है। कुल मिलाकर के आठ लोगों की हत्या हुई है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ दफा 302 में अपराध

पंजीकृत होना चाहिए। जो घायल हैं उनका उपचार होना चाहिए और मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि तमाम लोगों को पुलिस ने अवैधरूप से बन्दी बना रखा है। उनको भी छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उ.प्र. की जो पुलिस की निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। इस घटना की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nowadays, State subjects are increasingly being raised during Zero Hour.